

हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

नम्बर व ता.
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

पुनः पेश हुई बकील प्रार्थना अर्जित
मूल वाद का निर्णय दिनांक 11-4-18 को
ले चुका है मूल वाद का निर्णय लेने से
से 212 R.T.A. प्रार्थना-पत्र का अस्कार
स्विकार करने का कोई अधिकार नहीं है
रेली स्थिति प्रार्थना-पत्र 212 R.T.A. खारिज
किया जाता है प्रार्थना पत्र संख्या लेकर
नम्बर से काम की जावे।
निर्णय आज दिनांक 11-4-18 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

प्रार्थना पत्र अर्जित द्वारा 212 आर.टी.ए.

महोदय,

प्रार्थना निम्न आधारों पर यह आवेदन पेश कर निवेदन
करता है :-